

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरण :-

- (i) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण ।
छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी "अटल विहार योजना" निर्माणाधीन है । जिसमें सभी वर्गों का आवास उपलब्ध कराने की योजना है । कम आय वर्गों को शासन की ओर से छूट है । निम्न आय वर्ग जिनके पास मण्डल के किसी योजना में कोई आवास नहीं है, उनको आवास उपलब्ध कराना है । ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों में राजीव ऋण योजना के तहत ब्याज दर में भी छूट का प्रावधान है ।

- (ii) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप ।

----- मैप संलग्न -----

- (iii) परियोजना की लागत ।
प्रशासकीय स्वीकृति राशि रु. 2882.54 लाख
तकनीकी स्वीकृति राशि रु. 2685.68 लाख

- (iv) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य ।
एन.एम.डी.सी. द्वारा नगरनार स्टील प्लांट प्रस्तावित होने के कारण आवासीय कालोनी की माँग के आधार पर "अटल विहार " कालोनी एक व्यवस्थित बसाहट शासन की महत्वाकांक्षी परियोजना प्रस्तावित किया गया है । चोकावाड़ा जो कि नगरनार स्टील प्लांट से लगभग 2 किमी दूरी पर स्थित है । योजना के क्रियान्वयन के लिए स्थान चयन किया गया ।

- (v) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किए जाने के लिए)

एच.आई.जी. भवन	21 नग
सिनियर एम.आई.जी. भवन	21 नग
जूनियर एम.आई.जी. भवन	32 नग
एल.आई.जी. भवन	102 नग
ई.डब्ल्यू.एस. भवन	109 नग
कुल	285 नग

- (vi) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है ।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल का मुख्य उद्देश्य आवासहीन लोगों को आवास मुहैया कराना है । मण्डल सुपरवीजन चार्ज लेकर नो प्रोफिट, नो लास के आधार पर कार्य कराता है ।

- 2 कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण ।

अपेक्षित भूमि शासन की महत्वाकांक्षी "अटल विहार योजना" के क्रियान्वयन हेतु आवासीय प्रयोजन है ।

- 3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है ।

----- निरंक-----

- (i) परिवारों की संख्या ।

----- निरंक-----

- (ii) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या ।

अनुसूचित जाति 02

अनुसूचित जनजाति 21

- (iii) पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के लिए)
भूमि शासकीय होने के कारण किसी भी प्रकार की पुनर्वास योजना प्रस्तावित नहीं है ।

- 4 क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हाँ/नहीं)

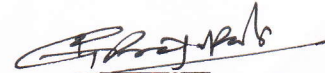
-----नहीं-----

- 5 प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्ध (वचनबद्धता संलग्न की जाए)

-----संलग्न है-----

6 निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों का ब्योरा ।

- 1 प्रपत्र -1.
- 2 भूमि की अनापत्ति प्रमाण पत्र ।
- 3 पंजीयन शुल्क बैंक ड्राफ्ट की प्रति ।
- 4 जी.पी.एस. कार्डिनेट ।
- 5 ग्राम सभा का प्रस्ताव ।
- 6 आस-पास की सीमाओं को दर्शाने वाला सत्यापित मानचित्र ।


हस्ताक्षर

पद नाम - कार्यपालन अभियंता
पता - छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
संभाग-जगदलपुर (छ.ग.)

तिथि 16.01.2015
स्थान -जगदलपुर.

प्रस्ताव की राज्य क्रमांक सं.

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाए)